मुकदमा नम्बर व अहकाम जारी हुक्म की तामील जारी हुए

8/1/08

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित।

अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत मे विवादित भूमि की नेखमबंदी में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छोटी खडीन, पटवार मण्डल– जैसिन्धर गांव, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 2041/1700, 2081/1965 रकबा क्रमशः 4.2531, 1.3031 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रकिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुये नेखमबंदी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को 500/–रू शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. गडरारोड़ से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार – I

राजस्व आवेदन संख्या :– 86/2025

क्रमांक/आवेदन/2025/ 205

दिनांक– 13/01/2026

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थी
1. इकराम पुत्र मेहू 2. नूरमोहम्मद पुत्र मेहू 3. मुराद पुत्र मेहू 4. नारूफ पुत्र मेहू 5. हिन्दाल पुत्र मेहू, जाति–मुसलमान, नि0 छोटी खडीन, तह0 गडरारोड़	1. नवाब पुत्र इस्माइल 2. अनवर पुत्र इस्माइल 3. रसूल पुत्र इस्माइल 4. सखी पुत्र इस्माइल 5. हेजम पुत्र इस्माइल 6. एलियास पुत्र अदरूफ 7. फकरूदीन पुत्र अदरूफ 8. मेहरा पत्नी अदरूफ 9. हारूण पुत्र अदरूफ 10. बरकत पुत्र साकर, जातियान्–मुसलमान, नि0 छोटी खडीन, तह0 गडरारोड़ 11. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जैसिन्धर 12. ग्राम पंचायत मालाणा जरिए सरपंच 13. श्रीमान तहसीलदार भू.अ. गडरारोड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को प्रार्थीगण की मौजा छोटी खडीन, पटवार मण्डल– जैसिन्धर गांव में अवस्थित खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2041/1700, 2081/1965 रकबा क्रमशः 4.2531, 1.3031 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रकिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस मे भिजवाने हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू– अभिलेख वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

206 – 11

क्रमांक/आवेदन/2025/ 205 – 10

दिनांक– 13/01/26

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक जै[illegible]
3. हल्का पटवारी जैसिन्धर गांव को भेजकर [illegible] –अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन द्वारा निर्धारित तिथि [illegible] होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गडरारोड़ को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण इकराम पुत्र मेहू वगैरा (05) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण नवाब पुत्र इस्माइल वगैरा (13) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)